रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012023-241797
CG-DL-E-09012023-241797

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]	नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2023/पौष 19, 1944
No. 12]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2023/PAUSHA 19, 1944

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(विकास आयुक्त का कार्यालय)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 13(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लघु उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन, के कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, समूह 'ग' पद, के भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किये जाने का लोप किया गया है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-विकास संगठन, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती का पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि-** इस संबंध में भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिए गए निर्देशानुसार होंगे।

4. **निरर्हता** :- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, के साथ विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य नियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन-मैट्रिक में वेतन-लेवल**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिओं के लिए आयु सीमा**
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	12* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6 (रुपए 35400-112400/-)	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले एवं चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो	लागू नहीं होता	दो वर्ष **टिप्पण:** दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह के अनिवार्य	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए

या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो और दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और जिनके पास हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद पाठ्यक्रम का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र हो या केन्द्रीय या राज्य सरकार में जिसके अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम भी है हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उप कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		आरंभिक प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल होगा।	बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी: (क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं: तथा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.) में छह वर्ष की सेवा की हो; तथा (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ हैं।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाएँ सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यथियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**विभागीय पुष्टि समिति में (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल है:-** 1. अपर विकास आयुक्त (प्रशासन) या संयुक्त विकास आयुक्त (प्रशासन) या निदेशक (प्रशासन) –अध्यक्ष; 2. विकास आयुक्त के कार्यालय में संयुक्त निदेशक (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) -सदस्य; तथा 3. उप निदेशक (प्रशासन) -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12035/01/2019-ए(पी&टी)]

पंकज कुमार झा, उप निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(Office of the Development Commissioner)

(MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2023

G.S.R. 13(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Small Scale Industries, the Small Industries Development Organisation, Junior Hindi Translator, Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Junior Hindi Translator in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, Ministry of Micro, Small and MediumEnterprises, namely: -

1. **Short title and commencement.-** (a) These rules may be called the Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, Junior Hindi Translator, Group 'B' Non-Gazetted Post, Recruitment Rules, 2023.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.-** The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.–** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether Selection or Non-Selection post.**	**Age-limit for direct recruitment.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Hindi Translator.	12*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6, (Rs. 35400-112400/-).	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the agelimit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands for Lakshadweep).

Educational and other qualification required for direct recruits.	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Master's Degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of	Not applicable.	Two Years. Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in level 5 (Rs. 29200-92300/-) of the pay matrix; and (B) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking. **Note 1:** The qualifications(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. **Note 2:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Additional Development Commissioner (Administration) or Joint Development Commissioner (Administration) or Director (Administration) – Chairman; 2. Joint Director in Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) – Member; and 3. Deputy Director (Administration) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12035/01/2019-A(P&T)]

PANKAJ KUMAR JHA, Dy. Director (Administration)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.01.09 18:52:16 +05'30'